नि 12 क्र। आर० ए० क्र। अ० द० असार्
एड० द्वारा वकालतनामा पेश किया था।
जा० हो। वास्ते बहस 7।8।19 को पेश हो।

7-8-19	पत्रावली पेश हुई / ~~अधिवक्तागण द्वारा~~ न्यायिक कार्य ... P.O. सा. मीटिंग / बाहर ... पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.8.19 को पेश हो।
21.8.19	पत्रावली पेश हुई / ~~अधिवक्तागण द्वारा~~ न्यायिक ... P.O. सा. मीटिंग / ... पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/8/19 को पेश हो।
22.8.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का अपील मेमो को दोहराकर कर कथन है, कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनु० जनजाति के व्यक्ति की भूमि 22/8/19

अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी | तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर भी पुत्रों के समान पुत्रियों का नाम दर्ज करने की त्रुटि की है। S.T. वर्ग पर H.S. Act. 1956 लागू नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इ० नं० 1293 दि० 15.5.1989 को अपास्त किया जावे।

बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्य, वांच्छित अनुतोषादि का सम्यक अवलोकन किया।

अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत रवेटाबाद निर्णय दिनांक 15.5.89 का अवलोकन कर विचार किया गया। उक्त नामा० रतना बेटा गोपी मीना की मृत्यु उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा दि० 15.12.88 को दायर किया। जांच G.L.R. दिनांक 15/5/89 को की गई तथा राजस्व अभियान दि० 15.5.89 को ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रतना के नाम दर्ज भूमि को शजरा अनुसार रतना के वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश/निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई हो ऐसा प्रमाणित नहीं है।

22/08/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुक्म
	अपीलाधीन आदेश 15.5.89 को पारित किया गया तथा इस न्यायालय में अपील 12.12.18 को पेश की गई, इतनी लम्बी अवधि का भी कोई खास कारण इंगित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा डे. बाय डे. का कोई खुलासा नहीं किया है। जहाँ तक हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के अनु० जन जाति पर प्रभावी नहीं होने से भूमियों के नाम हटाने का प्रश्न है, तो इसका विनिश्चय अपील के दरम्यान नहीं किया जा सकता। प्रकरण वर्णित भूमि में किस पक्ष का हक है? या नहीं है? यह भी अपील नामान्तकरण के द्वारा तय किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया गया। अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलान्ट मूल वांछित अनुतोष हेतु अन्य चाराजोही हेतु वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 22.8.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। 22/08/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner